

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर
कमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/कास/09/1000 दिनांक:-20/5/09

आदेश

निदेशालय के आदेश कमांक ई-18/एम/डीपीसी/व0लि0/08/997 दिनांक 19.5.09 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय सहायक पद पर पदोन्नत निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1	श्री सुरेन्द्र कुमार मिश्रा	गोपनीय अराजपत्रित अनुभाग, निदेशालय मुख्यालय	विधि अनुभाग, निदेशालय मुख्यालय
2	श्री हरिनारायण वैद्य	मु० चि०० एवं स्वा० अधि० चित्तौडगढ	मु० चि० एवं स्वा० अधि० चित्तौडगढ
3	श्री ओमप्रकाश शर्मा	योजना अनुभाग मुख्यालय	योजना अनुभाग निदेशालय मुख्यालय
4	श्री वीरेन्द्र कुमार मेहरा	औषधि अनुभाग निदेशालय मुख्यालय	राजपत्रित अनुभाग निदेशालय मुख्यालय
5	श्री अब्दुल लतीफ खॉ	मु०चि० एवं स्वा० अ० करौली	मु० चि० एवं स्वा० अ० भरतपुर
6	श्री गोविन्द बिहारी माथुर	अति०मु०चि० एवं स्वा०अ० प०क० अजमेर	मु० चि० एवं स्वा० अधि० अजमेर
7	श्री शंकरलाल शर्मा	स्थायी भण्डार, निदेशालय मुख्यालय	स्थायी भण्डार, निदेशालय मुख्यालय
8	श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा	निदेशालय मुख्यालय	अराजपत्रित अनुभाग मुख्यालय

उपरोक्त कर्मचारी अपने पदोन्नति स्थान पर दिनांक 10.6.09 तक कार्यग्रहण कर लें अन्यथा उक्त पदोन्नति आदेश निरस्त समझे जायेंगे ।

नोट:- जो कर्मचारी पदोन्नति पर निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करता है तो उन्हें दिया गया चयनित वेतनमान राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.2.98 में उल्लेखित प्रावधानानुसार तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया जाये तथा कर्मचारी को भी अवगत कराये ।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन कमांक एफ००७(१)/डीओपी/ए-११/९५ दिनांक २०.६.२००१ के परिप्रेक्ष्य में यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी के दिनांक १.६.२००२ को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो पदोन्नति अगले पांच वर्ष के लिए रूक जायेगी एवं पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जाये इस आशय का संबंधित कर्मचारी से संबंधित अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण कराये ।

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज० जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/कास/09/1000

दिनांक:-20/5/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0
- 2- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय ।
- 3- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 4- आदेश/रक्षित पत्रावली ।

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज० जयपुर